पीए/265/2025
पुष्पेन्द्र / सरकार

करवाया गया। अपीलार्थी ने कथन किया कि यदि अपील का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं है तो प्रकरण लौटा दिया जावे। जिसमे कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली मे अपील मैमो व प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अधि. न्यायालय के आदेश का भी अध्ययन किया गया अधि. न्यायालय मे प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का है। लिपिकिय त्रुटि से अपीलार्थी द्वारा पत्रावली इस न्यायालय मे दर्ज करवा दी गई है। धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम की अपील अन्य न्यायालय मे कि जाती है। इस धारा की अपील का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अपीलार्थी/प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि सक्षम न्यायालय मे अपील दायर कर सकते है। इस न्यायालय मे इस पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रकरण इसी स्तर पर ड्रोप किया जाकर नम्बर से कम किया जाता है।

[signature]
?/2/26
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

~ 2025/188

3/12/25
6/1/26
3/2/26

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा
अपील/टीए/265/2025
पुष्पेन्द्र पिता जमनालाल बनाम सरकार

अभि. अपीलार्थी—श्री रणवीरसिंह राणावत

दिनांक	कार्यवाही विवरण	की गई कार्यवाही मय इन्यीसीयियल
18.08.2025	यह अपील अभिभाषक श्री रणवीरसिंह राणावत के द्वारा अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गयी। अपील मियाद के बाहर है। जिसके सर्मथन मे प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील मियाद के बिन्दु को विचारणीय रखते हुये दर्ज रजिस्टर करे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब करे। प्रत्यर्थीगण के सम्मन जरिये रजिर्स्टड एडी जारी कर पत्रावली दिनांक 29/10/25 को पेश हो। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा	
29/10/25	~~पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित।~~ पत्रावली वास्ते रेकार्ड तलबी व प्रत्यर्थीगण Reg. नोटिस तामील दि० 3/12/25 को पेश हो। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा	
3/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते रेकार्ड तलबी व प्रत्यर्थीगण Reg. नोटिस तामील दि० 6/1/26 को पेश हो। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा	
6/1/26	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते रेकार्ड तलबी व प्रत्यर्थीगण Reg. नोटिस तामील दि० 3/2/26 को पेश हो। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा	
3/2/26	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से RC सारस्वत, एड ने अधिकार पत्र पेश किया। पत्रावली वास्ते रेकार्ड तलबी दि 4/2/26 को पेश हो। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा	
4/2/26	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण मे सुना गया। रेस्पो. अधिवक्ता ने अवगत करवाया कि प्रकरण मूल रूप से भू-राजस्व नियम अन्तर्गत धारा 136 का है और इसकी अपील का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रकरण गलत दर्ज हुआ है। इस पर अपीलार्थी को भी अवगत	R. Rawat Adv